न्यूज़ टुडे

भगवद् गीता और नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियों को यूनेस्को के 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर' में शामिल किया गया

गीता और नाट्यशास्त्र को सम्मिलित करने के साथ ही **इस रजिस्टर में अब भारत की 14 प्रविष्टियां शामिल** हो गई हैं।

- भारत के **ऋग्वेद, गिलगित पांडुलिपि, अभिनवगुप्त (940-1015 ई.) की पांडुलिपियां, मैत्रेयवराकरण** (पाल काल की एक पांडुलिपि) आदि को भी रजिस्टर में शामिल किया गया है।
- **वर्ष 1948 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित 'मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा'** भी रजिस्टर में शामिल की गई नई प्रविष्टियों में से एक है।

भगवद् गीता और नाट्यशास्त्र के बारे में

- **भगवद् गीता:**
  - भगवद् गीता जिसे अक्सर **गीता** के नाम से भी जाना जाता है, **700 श्लोकों** वाला एक धर्मग्रंथ है। यह महाकाव्य **महाभारत** विशेष रूप से **भीष्म पर्व (अध्याय 23-40)** का एक हिस्सा है।
  - इसे **कुरुक्षेत्र** के युद्ध क्षेत्र में **भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद** के रूप में संकलित किया गया है।
    - इसे **दूसरी या पहली शताब्दी ई. पू.** में रचित माना जाता है।
  - भगवद् गीता में **18 अध्याय एवं 700 श्लोक** हैं।
  - **प्रासंगिकता:** इसे सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शक माना जाता है।
- **नाट्यशास्त्र:**
  - इसे **नाट्यवेद का सार** माना जाता है। नाट्यशास्त्र निष्पादन कलाओं की एक मौखिक परंपरा है, जिसमें **36,000 छंद** शामिल हैं। इसे **गंधर्ववेद** के नाम से भी जाना जाता है।
    - यह **नाटक (नाट्य), निष्पादन (अभिनय), सौंदर्य भावना (रस), भावना (भाव) और संगीत (संगीत)** से संबंधित है।
  - ऐसा माना जाता है कि इसे **भरतमुनि ने संस्कृत में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व** के आस-पास संहिताबद्ध किया था।
  - इसने **भारतीय काव्यशास्त्र, रंगमंच, नृत्य और सौंदर्यशास्त्र** की नींव रखी।

यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम

- यूनेस्को ने इसे **1992** में शुरू किया था। इसका उद्देश्य विश्व की मूल्यवान दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करना और उसे सार्वभौमिक रूप से सुलभ बनाना है।
- यह मानव सभ्यता को प्रभावित करने वाली **दस्तावेजी विरासत** को मान्यता देता है।
- इसका उद्देश्य ऐतिहासिक ग्रंथों, पांडुलिपियों और अभिलेखागार को **संरक्षित करना तथा उन तक पहुंच को बढ़ावा** देना है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि न्यायपालिका सुपर संसद के रूप में कार्य नहीं कर सकती

उपराष्ट्रपति ने न्यायपालिका की आलोचना करते हुए कहा कि वह अपनी संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण कर रही है तथा एक **"सुपर संसद"** के रूप में कार्य करने का प्रयास कर रही है।

- उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति हेतु **तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित** की थी और संविधान के **अनुच्छेद 142** का प्रयोग करते हुए 10 लंबित विधेयकों को स्वीकृति प्राप्त मान लिया था।
- उन्होंने **अनुच्छेद 142** की भी आलोचना करते हुए कहा कि यह एक ऐसी परमाणु मिसाइल बन गई है, जो लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यायपालिका के पास चौबीसों घंटे मौजूद रहती है।

अनुच्छेद 142 के बारे में

- अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को 'उसके समक्ष लंबित किसी भी हित या मामले में **पूर्ण न्याय** करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री पारित करने या कोई भी आदेश देने' में सक्षम बनाता है।
- यह मूल रूप से एक असाधारण उपाय के रूप में परिकल्पित है। इसका अर्थ है **कानून में मौजूद कमियों को दूर करना और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी प्रावधानों की उपेक्षा करके न्याय सुनिश्चित** करना।
  - **उदाहरण:** भंवरी देवी और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (2002), सुप्रीम कोर्ट ने **'विशाखा दिशा-निर्देश'** जारी किए थे।

न्यायिक सक्रियता	न्यायिक अतिक्रमण
• यह नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और समाज में न्याय को बढ़ावा देने में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई **'सक्रिय भूमिका'** को संदर्भित करता है। • न्यायिक सक्रियता की अवधारणा **न्यायिक समीक्षा** (अनुच्छेद 32 और 226) का उपोत्पाद है। • **उदाहरण के लिए-** केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)।	• यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां **न्यायपालिका अपनी संवैधानिक सीमाओं को पार करती है** तथा कार्यपालिका एवं विधायिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है। • न्यायिक अतिक्रमण की प्राथमिक आलोचना यह है कि यह **"न्यायाधीश द्वारा निर्मित कानून"** को लागू करता है। • **उदाहरण के लिए-** सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC वाद, 2015) को रद्द कर दिया था।

अनुच्छेद 142 से जुड़ी हुई चिंताएं

- **व्यक्तिपरक व्याख्या:** अनुच्छेद 142 के तहत "पूर्ण न्याय" की परिभाषा स्पष्ट नहीं है। इससे न्यायिक विवेकाधिकार एवं इस अनुच्छेद के संभावित दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है।
- **न्यायिक अतिक्रमण:** यह न्यायपालिका को पारंपरिक रूप से विधायिका या कार्यपालिका के लिए आरक्षित क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाता है।
- **शक्तियों के पृथक्करण के विरुद्ध:** यह **न्यायिक सक्रियता और न्यायिक विधान** के बीच की रेखा को अस्पष्ट करता है। इससे **'शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत'** के उल्लंघन को लेकर चिंता पैदा होती है।

'ब्रिक्स भूमि पुनर्बहाली साझेदारी' शुरू की गई

'ब्रिक्स भूमि पुनर्बहाली साझेदारी (BRICS Land Restoration Partnership)' की घोषणा **ब्राजील में आयोजित 15वीं ब्रिक्स कृषि बैठक** के दौरान की गई।

- इस बैठक में भारत ने **समावेशी, न्यायसंगत और संधारणीय कृषि** के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की।
- ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों ने भी **संधारणीय कृषि-खाद्य प्रणाली (एग्री-फूड सिस्टम)** के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

ब्रिक्स भूमि पुनर्बहाली साझेदारी के बारे में

- यह साझेदारी **भूमि निम्नीकरण, मरुस्थलीकरण और मृदा-उर्वरता ह्रास** की समस्या को दूर करने के लिए कार्य करेगी।
- यह साझेदारी पारंपरिक ज्ञान और वैज्ञानिक इनोवेशन के समन्वय के माध्यम से लघु कृषकों, आदिवासी समुदायों और स्थानीय कृषकों को लाभ प्रदान करेगी।
- **भूमि पुनर्बहाली साझेदारी की आवश्यकता क्यों?** पूरे विश्व में **तेजी से भूमि का निम्नीकरण** हो रहा है। उदाहरण के लिए- खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, **भारत में लगभग 32% भूमि निम्नीकृत** हो चुकी है और **25% भूमि मरुस्थल में परिवर्तित** होती जा रही है।

संधारणीय कृषि के बारे में

- यह कृषि प्रणाली **मानव आबादी की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए** और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए **पृथ्वी की संसाधन क्षमता को संरक्षित करने का प्रयास** करती है।
- **भारत द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम:**
  - **सरकारी योजनाएं और पहलें:** राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA), और शून्य बजट प्राकृतिक कृषि (ZBNF) जैसी पहलें शुरू की गई हैं।
  - **जल और भूमि संसाधन प्रबंधन से जुड़ी पहलें:** इसमें **प्रति बूंद अधिक फसल, जलसंभर विकास कार्यक्रम** इत्यादि शामिल हैं।
    - गौरतबल है कि जलसंभर विकास कार्यक्रम, **प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना** (PMKSY) का घटक है।
- **प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपाय:** जलवायु-अनुकूल फसलों की खेती, परिशुद्ध खेती (Precision farming), एग्रीस्टैक, आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है।

संधारणीय कृषि अपनाने की आवश्यकता क्यों है?

कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि को रोकने के लिए: FAO के अनुसार, 2022 में वैश्विक कृषि-खाद्य प्रणालियों से 16.2 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ।

संसाधनों का बेरोकटोक दोहन रोकने के लिए: उदाहरण के लिए- भारत का लगभग 80% ताजा जल कृषि कार्य में उपयोग कर लिया जाता है।

अन्य उद्देश्य: खेतों में कीटनाशकों के अधिक उपयोग और जल एवं मृदा प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए।

कुवैत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत के लिए स्थायी सीट का समर्थन किया

कुवैत वर्तमान में UNSC में सुधार से संबंधित अंतर-सरकारी वार्ता (IGN) का सह-अध्यक्ष है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और यू.के. ने भी UNSC की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के पक्ष का समर्थन किया है।

भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सीट क्यों मिलनी चाहिए?

- **जनसंख्या एवं लोकतंत्र:** भारत की जनसंख्या 1.4 अरब से अधिक है, जो दुनिया की कुल आबादी का लगभग छठा हिस्सा है। साथ ही, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है।
- **उभरती आर्थिक शक्ति:** नॉमिनल GDP के मामले में भारत दुनिया की **5वीं** सबसे बड़ी और क्रय शक्ति समता (PPP) के मामले में **तीसरी** सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- **वैश्विक स्तर पर रणनीतिक संबंधों में संतुलन:** भारत उन बड़े देशों में से एक है, जो **संयुक्त राज्य अमेरिका** और **रूस, दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध** बनाए हुए है। इसलिए विश्व शांति बनाए रखने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है।
  - इससे प्रमुख वैश्विक मुद्दों के समाधान में वीटो शक्ति के उपयोग में कमी आ सकती है।
- **नेतृत्वकारी भूमिका:** भारत अब **ग्लोबल साऊथ की आवाज बन चुका है** और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करने वाले **'L 69' समूह (42 देश)** का नेतृत्व कर रहा है।
- **संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों का समर्थन:** भारत निरस्त्रीकरण, नस्लवाद-विरोध और शांतिपूर्ण तरीके से विवाद समाधान का प्रबल समर्थक है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के बारे में

- **स्थापना और भूमिका:** UNSC को 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है।
- **सदस्यता:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं:
  - **स्थायी सदस्य (5):** चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, और संयुक्त राज्य अमेरिका।
  - **गैर-स्थायी सदस्य (10):** ये सदस्य दो वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, और इनके पास वीटो शक्ति नहीं होती है।
- **प्राधिकार:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास बाध्यकारी निर्णय लेने की शक्ति है, जिसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी सदस्य देशों को लागू करना अनिवार्य है।

भारत की स्थायी सदस्यता के समक्ष बाधाएं

- **विपक्षी समूह:** "यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस" या "कॉफी क्लब" जैसे समूह स्थायी सीटों के विस्तार के खिलाफ हैं।
- **P5 देशों का स्वार्थ:** उदाहरणार्थ- **चीन** भारत की दावेदारी का विरोध करने वाला UNSC का एकमात्र स्थायी सदस्य है।
- **संरचनात्मक बाधाएं:** संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन के लिए **महासभा के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा अनुमोदन और सभी P5 (स्थायी) सदस्यों की सहमति अनिवार्य** है।

वित्त मंत्रालय ने ई-नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स (E-NWRs) के एवज में कृषि ऋण देने पर जोर दिया

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक, निजी, क्षेत्रीय, ग्रामीण और सहकारी बैंकों से कहा है कि वे **नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी** (NCGTC) और **ई-किसान उपज निधि** (e-KUN) पोर्टल पर पंजीकरण कराएं, ताकि E-NWRs के एवज में ऋण को बढ़ावा मिल सके।

- NCGTC **ई-नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स** आधारित **प्लेज फाइनेंस (2024)** के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का प्रबंधन करती है। इसके तहत ऋण देने वाली पात्र संस्थाओं को E-NWRs के एवज में दिए गए ऋण के प्रति गारंटी प्रदान की जाती है।
- **ई-किसान उपज निधि** वस्तुतः **जन समर्थ पोर्टल** का हिस्सा है। यह किसानों को अपने E-NWRs को गिरवी रखकर बैंकों से फसल की कटाई के बाद ऋण प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

इलेक्ट्रॉनिक-नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स (E-NWRs) के बारे में

- यह **पारंपरिक वेयरहाउस रसीद का डिजिटल संस्करण** है, जो वेयरहाउसिंग (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट द्वारा विनियमित होता है। 2019 से E-NWRs को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है।
  - यह व्यवस्था किसानों या व्यापारियों को पंजीकृत गोदाम में रखी गई उपज या माल को एंडोर्समेंट के ज़रिए बेचने या हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करती है।
- **जारीकर्ता: वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी** (WDRA) के साथ पंजीकृत **वेयरहाउस** अपने यहां जमा अधिसूचित वस्तुओं के लिए E-NWRs जारी कर सकते हैं।
  - WDRA **वेयरहाउसिंग (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2007** के अंतर्गत स्थापित एक **वैधानिक निकाय** है।
- **वैधता:** E-NWRs की वैधता या तो उत्पाद की शेल्फ-लाइफ तक रहती है (जब तक वह खराब नहीं होता), या फिर गोदाम से पूरा माल निकाल लिए जाने तक - इनमें से जो भी पहले पूरा हो।
- **महत्त्व:**
  - इससे किसानों/ जमाकर्ताओं को बैंकों से आसानी से **ऋण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।**
  - **वस्तुओं या उपज के वैज्ञानिक भंडारण को प्रोत्साहन मिलेगा।**
  - इसके कारण किसानों को **मुसीबत के समय कृषि उपज को जल्दबाजी में कम मूल्य पर बेचने से बचाया जा सकेगा।**
    - E-NWRs को **बाजार के बाहर** भी **खरीदा या बेचा** जा सकता है और इन्हें **कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंजों** में कारोबारी सौदे को पूरा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

अन्य सुर्ख़ियां

सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन (SAGAR)

सागर (SAGAR) मिशन के तहत भारत का INS **सुनयना पोत** मोजाम्बिक के **नकाला बंदरगाह** पहुंचा। यह मिशन भारत के **सागर (SAGAR) विजन** का हिस्सा है।

- सागर मिशन का मुख्य उद्देश्य **भारत और अफ्रीकी देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना** है।

सागर (SAGAR) विजन के बारे में

- इसका **अनावरण 2015** में किया गया था। यह **हिंद महासागर क्षेत्र** (IOR) में समुद्री सहयोग के लिए **भारत का रणनीतिक विजन** है।
- **उद्देश्य:** हिंद महासागर क्षेत्र के सभी देशों के लाभ के लिए देशों के बीच समुद्री क्षेत्र में **सहयोग को मजबूत** करना, क्षेत्र में **स्थिरता को बढ़ावा** देना तथा **आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करना।**
- सागर विजन के मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर, भारत के प्रधान मंत्री ने हाल ही में **महासागर** (MAHASAGAR) विजन की घोषणा की है। यहां MAHASAGAR से आशय है- **'म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन'।**

पेस्ट फिल तकनीक (Paste Fill Technology)

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) **भूमिगत खानों में पेस्ट फिल तकनीक का उपयोग करने वाला भारत में सार्वजनिक क्षेत्रक का पहला कोल उपक्रम** बन गया है।

पेस्ट फिल तकनीक के बारे में

- यह एक **आधुनिक भूमिगत खनन तकनीक** है। इसमें निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:
  - कोयला निकालने के बाद जो खाली जगह बनती है, उसे **विशेष रूप से तैयार किए गए पेस्ट से** भरा जाता है।
  - यह पेस्ट **ओपनकास्ट खानों के क्रश किए गए ओवरबर्डन, फ्लाई ऐश, सीमेंट, जल, बाइंडिंग रसायन घटकों से बना** होता है।
- **पेस्ट फिल तकनीक के मुख्य लाभ:**
  - अधिक मात्रा में भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
  - **भू-धंसाव (land subsidence)** को रोका जा सकता है।

'क्रिएट इन इंडिया चैलेंज (CIC)'

'क्रिएट इन इंडिया चैलेंज (CIC)' सीजन-1 को **वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट** (WAVES) के तहत एक प्रमुख पहल के रूप में आरंभ किया गया था। अब यह एक **वैश्विक पहल का रूप** ले चुका है।

क्रिएट इन इंडिया चैलेंज (CIC) के बारे में

- **प्रारंभ:** इसे **अगस्त, 2024** में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शुरू किया था।
- **उद्देश्य:** इसके उद्देश्य हैं- **भारत के क्रिएटर्स को सशक्त** बनाना तथा उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने, अपने कौशल से मुद्रा अर्जित करने और मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग की संवृद्धि में योगदान देने का अवसर देना।
- **मुख्य फोकस:** यह जमीनी स्तर के इनोवेशन को बढ़ावा देता है और इसके विविध उद्देश्यों व अलग-अलग लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
- **महत्त्व:** यह विश्व में **भारत के सॉफ्ट पावर की क्षमता को मजबूत** करता है और **उभरती प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए प्लेटफॉर्म** प्रदान करता है।

पेयर (PAIR) कार्यक्रम

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) ने अपने PAIR (**त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिए साझेदारी**) **कार्यक्रम** के अंतर्गत 18 हब संस्थानों और 106 भागीदार स्पोक संस्थानों के चयन की घोषणा की है।

PAIR कार्यक्रम (2024) के बारे में

- **उद्देश्य: राष्ट्रीय शिक्षा नीति** (NEP)-2020 के लक्ष्य के अनुरूप हब-एंड-स्पोक मॉडल के माध्यम से भारतीय छात्रों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना।
- **संरचना:**
  - **हब:** इसमें शीर्ष रैंक के या राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माने जाने वाले संस्थान (शीर्ष 25 NIRF या राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माने जाने वाले शीर्ष 50 संस्थान) शामिल होते है।
  - **स्पोक:** इसमें केंद्रीय/ राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय और चयनित NITs/IIITs शामिल होते हैं, जिन्हें अनुसंधान संबंधी सहायता की आवश्यकता है।
    - प्रत्येक नेटवर्क में 1 हब और अधिकतम 7 स्पोक शामिल होते हैं।
  - अनुसंधान क्षमता को मजबूत बनाने के लिए, **हब संस्थान** स्पोक संस्थानों को मार्गदर्शन, विशेषज्ञता और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराते हैं।

इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स (ICOMOS)

18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। वर्ष 2025 में विश्व विरासत दिवस की थीम है: "आपदाओं और संघर्षों से खतरे में विरासत: तैयारी और ICOMOS के 60 वर्षों से मिली सीख।"

इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स (ICOMOS) के बारे में

- ICOMOS एक **गैर-सरकारी संगठन** है। यह दुनिया भर में सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए काम करता है।
- **स्थापना:** 1964 में **"ऐतिहासिक स्मारकों के वास्तुकारों और तकनीशियनों की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस"** में **वेनिस चार्टर** को अपनाया गया। इसके ठीक एक वर्ष बाद 1965 में, **वारसॉ** में ICOMOS की स्थापना की गई।
- यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है, जो मूर्त एवं अमूर्त दोनों तरह की विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए **वैज्ञानिक पद्धतियों और तकनीकों को लागू** करता है।

स्टेगोडोन गणेश (Stegodon Ganesa)

वर्धा-पैनगंगा नदी के किनारे विलुप्त प्राणी स्टेगोडोन गणेश के दुर्लभ जीवाश्म मिले हैं।

- **पैनगंगा नदी** की लंबाई 676 किलोमीटर है। यह **महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले** में स्थित **अजंता की पहाड़ियों** से निकलती है।
- यह नदी **महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सीमा के साथ-साथ बहती है,** और आगे चलकर वर्धा नदी में मिल जाती है।

स्टेगोडोन गणेश के बारे में

- यह **प्राचीन समय में मौजूद हाथी की एक नस्ल** थी, जिसे आज के **एशियाई हाथियों का पूर्वज** माना जाता है।
- इसके **जीवाश्म (फॉसिल)** करीब 25,000 साल पुराने हैं और ये **प्लीस्टोसीन युग** के अंतिम दौर से संबंधित हैं।
- इसके **दांत (टस्क)** बहुत **लंबे और पास-पास** होते थे, जिससे उनके बीच में **सूंड़ के लिए जगह नहीं** बच पाती थी।

ऑपरेशन अटलांटा

यूरोपीय संघ नौसैनिक बल (EUNAVFOR) के ऑपरेशन अटलांटा ने भारतीय नौसेना के साथ एक **संयुक्त अभ्यास का प्रस्ताव** दिया है।

ऑपरेशन अटलांटा के बारे में

- **उद्देश्य:** यह ऑपरेशन **शांति, क्षेत्र में स्थिरता और समुद्री सुरक्षा के प्रयासों का समर्थन** करता है। इसके कार्यों में **समुद्री डकैती (पायरेसी), मादक पदार्थों की तस्करी, गैर-कानूनी तरीके से मछली पकड़ना जैसी गतिविधियों को रोकना** है।
- यह ऑपरेशन **पश्चिमी हिंद महासागर और लाल सागर क्षेत्र में** संचालित किया जाता है।

लूसी मिशन

नासा का **लूसी** अंतरिक्ष यान क्षुद्रग्रह **डोनाल्डजोहानसन** के करीब से उड़ान भरने (फ्लॉय बाय) की प्रक्रिया में है।

लूसी मिशन के बारे में

- **प्रक्षेपण वर्ष:** इसे वर्ष 2021 में प्रक्षेपित किया गया था।
  - **नाम की प्रेरणा:** इस मिशन को "लूसी" नाम उस प्राचीन मानव पूर्वज के जीवाश्म से प्रेरित होकर दिया गया है, जिसकी खोज **1974 में इथियोपिया** में हुई थी।
- **उद्देश्य:** यह बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन है। ये क्षुद्रग्रह हमारे सौरमंडल की प्रारंभिक अवस्था के अवशेष माने जाते हैं।
  - **ट्रोजन क्षुद्रग्रह** सूर्य की परिक्रमा करते समय बृहस्पति ग्रह की कक्षा में दो "समूहों" में स्थित होते हैं। इनमें से एक बृहस्पति से आगे है और दूसरा उसके पीछे होता है।
- **मिशन की अवधि:** 12 वर्ष
- **महत्त्व:** यह मिशन सौरमंडल की उत्पत्ति और विकास को समझने में मदद करेगा।

गिंडी राष्ट्रीय उद्यान

काले हिरणों की आबादी को सहारा देने के लिए **गिंडी राष्ट्रीय उद्यान में उपेक्षित घासभूमियों का पुनरुद्धार किया जाएगा।**

- **काला हिरण** या **भारतीय मृग** (एंटीलोप सर्विकापरा) भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक प्रजाति है।
- यह IUCN रेड लिस्ट में लिस्ट कंसर्न और WPA, 1972 की **अनुसूची 1** में सूचीबद्ध है।

गिंडी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में

- **अवस्थिति:** चेन्नई (राजभवन के पास), तमिलनाडु
  - यह भारत का 8वाँ सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है।
- यह शहर में मौजूद कुछ राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है।
- **प्राणिजात:**
  - **स्तनधारी:** काला हिरण, चित्तीदार हिरण, आदि।
  - **पक्षी:** 130 से अधिक प्रजातियां, जिनमें क्रो फिजेंट, श्रीके, टेलर बर्ड, आदि शामिल हैं।
- **वनस्पतिजात:** कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, घासभूमियां, आदि।

रास ईसा बंदरगाह (Ras Isa Port)

संयुक्त राज्य अमेरिका ने **यमन में हूती विद्रोहियों के अधिकार वाले रास ईसा बंदरगाह/टर्मिनल पर हवाई हमला** किया।

रास ईसा बंदरगाह/टर्मिनल के बारे में

- यह सामरिक रूप से महत्वपूर्ण **कामरान खाड़ी में स्थित** है।
- **मरीब-रास ईसा पाइपलाइन** मरीब ऑयल फील्ड और लाल सागर में स्थित गहरे समुद्री बंदरगाह रास ईसा को जोड़ती है।
- **यमन के अन्य मुख्य बंदरगाह:** अदन, अल होदेइदाह, मोखा (अल मोखा), आदि।